महत्वपूर्ण अनुषंगियों

हेतु

नीति

विदेशी कारोबार विभाग, प्रधान कार्यालय

घरेलू अनुषंगी प्रबंधन प्रभाग

महत्वपूर्ण अनुषंगियों हेतु नीति

1. **प्रस्तावना :**

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन – 2015 के विनियम 16(1)(सी) के अनुसार, समय-समय पर यथा संशोधित ('सूचीबद्ध विनियमन'), सूचीबद्ध संस्थाओं हेतु "महत्वपूर्ण अनुषंगियों" निर्धारित करने हेतु एक नीति बनाना अनिवार्य है।

इसके अलावा, सूचीबद्ध विनियमन के विनियम 46(2)(एच) के अनुसार, इस नीति को बैंक की वेबसाइट पर एक अलग अनुभाग के अंतर्गत प्रकिशित किया जाएगा और इसका वेब लिंक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किया जाएगा।

2. **पृष्ठभूमि :**

सूचीबद्ध विनियमनों के विनियम 2(1)(पी) के अनुसार "सूचीबद्ध इकाई" को उस इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(ओं) में सूचीबद्ध है, और जिसकी निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ या इसके द्वारा प्रबंधित योजनाओं के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियाँ, उस इकाई एवं मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(ओं) के मध्य हुए सूचीबद्ध करार के अनुसार हैं।

विनियम 16(1)(सी) की व्याख्या के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई को "महत्वपूर्ण अनुषंगियों" तय करने हेतु एक नीति बनानी होगी। यह नीति 'महत्वपूर्ण अनुषंगी के तहत बैंक की घरेलू और विदेशी दोनों अनुषंगियों को शामिल करती हैं। हमारा बैंक सूचीबद्ध इकाई होने के कारण **"महत्वपूर्ण अनुषंगियों**" हेतु निम्नलिखित नीति तैयार करता है:

3. **परिभाषाएँ :**

"बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)"
एसीबी से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति से है। एसीबी बैंक के समग्र लेखापरीक्षण कार्यों के संचालन को दिशा प्रदान करती है तथा उसकी निगरानी भी करती है। इसमें बैंक के भीतर आंतरिक लेखापरीक्षण एवं निरीक्षण की संगठनात्मक व्यवस्था, उनका क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता नियंत्रण शामिल है और साथ ही, बैंक के वैधानिक/बाह्य लेखापरीक्षण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्यवाही भी इसमें सम्मिलित होती है।

" बोर्ड" से तात्पर्य बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल से है।

" भारतीय लेखांकन मानकों के संदर्भ में अनुषंगी, सहयोगी कंपनी, संयुक्त उद्यम, 'नियंत्रण और महत्वपूर्ण प्रभाव' की परिभाषा " - जैसा कि अनुलग्नक-I में सूचीबद्ध

" वित्तीय सेवा कंपनियाँ " – अनुलग्नक-II में सूचीबद्ध

"महत्वपूर्ण अनुषंगी" इसका अर्थ लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 16(1)(c) के अंतर्गत परिभाषित सहायक कंपनी से होगा, जो निम्नानुसार है:

महत्वपूर्ण अनुषंगी से आशय ऐसी अनुषंगी से होगा, जिसका **टर्नओवर** या निवल मूल्य (अर्थात् चुकता पूंजी एवं फ्री रिजर्व) कंपनी एवं उसकी अनुषंगियों के समेकित **टर्नओवर** या निवल मूल्य के क्रमशः 10 प्रतिशत से अधिक हो, जो तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

4. **“महत्वपूर्ण लेन-देन या व्यवस्था”** से आशय है कोई भी ऐसा लेन-देन या व्यवस्था जो असूचीबद्ध अनुषंगियों के तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल आस्तियां या कुल देयताएं, जैसा भी लागू हो, के 10% से अधिक हो या होने की संभावना रखता हो। **नीति :**

ए. सूचीबद्ध विनियमनों के विनियम 24(1) के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक किसी असूचीबद्ध महत्वपूर्ण अनुषंगी के चाहे वह भारत में निगमित हो या नहीं के निदेशक मंडल में भी निदेशक होगा।

विनियमन 24(1) के अनुपालन के उद्देश्य हेतु, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में, सूचीबद्ध विनियमनों के विनियम 16 में निहित किसी विपरीत प्रावधान के बावजूद, "महत्वपूर्ण अनुषंगी" से आशय ऐसी अनुषंगी से होगा जिसका **टर्नओवर** या निवल मूल्य, सूचीबद्ध इकाई एवं उसकी अनुषंगियों के समेकित **टर्नओवर** या निवल मूल्य के क्रमशः 20% से अधिक हो, जो तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

बी. बैंक की लेखापरीक्षा समिति असूचीबद्ध अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की विशेष रूप से उनके द्वारा किए गए निवेशों की की समीक्षा करेगी

सी. असूचीबद्ध अनुषंगियों के बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त बैंक की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे।

डी. असूचीबद्ध अनुषंगियों का प्रबंधन समय-समय पर बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष, अनुषंगियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेन-देन एवं व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करेगा।

ई. बैंक अपनी महत्वपूर्ण अनुषंगी में अपनी हिस्सेदारी का ऐसा निपटान नहीं करेगा जिससे उसकी हिस्सेदारी (स्वयं या अन्य सहायक कंपनियों के साथ मिलकर) 50% या उससे कम हो जाए, अथवा अनुषंगी पर इसका नियंत्रण समाप्त हो जाए, जब तक कि इसके लिए सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित न किया जाए। तथापि, यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ ऐसा विनिवेश किसी न्यायालय/अधिकरण द्वारा अनुमोदित व्यवस्था योजना या दिवाला संहिता की धारा 31 के अंतर्गत अनुमोदित समाधान योजना के तहत किया गया हो, तथा ऐसी घटना की जानकारी समाधान योजना की स्वीकृति के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को दे दी गई हो।

एफ. वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर, महत्वपूर्व अनुषंगी के आस्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक आस्तियों को बेचने, निपटान एवं पट्टा पर देने के लिए, विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों से पहले मंज़ूरी लेनी होगी, जब तक कि बिक्री/निपटान/पट्टा पर देने का कार्य किसी न्यायालय/अधिकरण से अनुमोदित व्यवस्था योजना के तहत या दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत अनुमोदित समाधान योजना के तहत न किया गया हो और ऐसी घटना की जानकारी समाधान योजना की स्वीकृति होने के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को न दी जाए:

इस अनुच्छेद एफ में निहित कोई भी प्रावधान तब लागू नहीं होगा जब आस्तियों की ऐसी बिक्री, निपटान या पट्टा बैंक की दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों के मध्य किया गया हो।

जी. जहां बैंक की कोई सूचीबद्ध अनुषंगी है जो स्वयं एक धारक कंपनी है, वहां सूचीकरण विनियमन के प्रावधान उस सूचीबद्ध अनुषंगी पर लागू होंगे जहां तक इसकी अनुषंगियां संबंधित हैं।

एच. सचिवीय लेखापरीक्षा और सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट:

सूचीकरण विनियमन के विनियम 24ए के अनुसार,

(1) भारत में निगमित प्रत्येक सूचीबद्ध संस्था और उसकी महत्वपूर्ण असूचीबद्ध अनुषंगी को **एक सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा** सचिवीय लेखापरीक्षा करानी होगी। **ऐसा सचिवीय लेखापरीक्षक एक पीयर रिव्यूड कंपनी सचिव होगा** और सूचीबद्ध संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के साथ निर्धारित फार्म में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करके संलग्न किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:

ए. "सचिवीय लेखापरीक्षक" का अर्थ है सचिवीय लेखापरीक्षा करने हेतु नियुक्त किया गया प्रैक्टिस में कार्यरत कंपनी सचिव या प्रैक्टिस में कार्यरत कंपनी सचिव(सचिवों) की कोई फर्म।

बी. "पीयर रिव्यूड कंपनी सचिव" का अर्थ है प्रैक्टिस में कार्यरत ऐसा कंपनी सचिव जो या तो व्यक्तिगत रूप से या एकल स्वामी के रूप में या पीयर रिव्यूड प्रैक्टिस यूनिट के भागीदार के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके पास भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किया गया पीयर रिव्यु का वैध प्रमाणपत्र है।

(2) प्रत्येक सूचीबद्ध संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साठ दिन के भीतर, निर्धारित फार्म में सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी।

बशर्ते कि सूचीबद्ध संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि 1 अप्रैल, 2025 से वार्षिक आधार पर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत की जाने वाली सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट पर केवल सचिवीय लेखापरीक्षक या पीयर रिव्यूड कंपनी सचिव द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाएं जो सूचीकरण विनियमन के तहत उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं।

आई. <u>कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट</u>:

विनियम 34(3) और सूचीकरण विनियमन की अनुसूची V के **पैराग्राफ सी(10)(एन)** के साथ पठित, बैंक को सूचीबद्ध संस्था की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के विवरण प्रकट करना होगा; इसमें निगमन की तिथि और स्थान तथा ऐसी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के नाम और उनकी नियुक्ति की तिथि का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुभाग के तहत देना होगा।

5. **<u>निष्कर्ष</u>:**

अनुलग्नक । इस नीति का भाग है और **बैंक पर लागू होने वाले आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नवीनतम दिशानिर्देशों** को शामिल करने हेतु यह नीति वार्षिक रूप से व्यापक समीक्षा के अधीन है।

अनुलग्नक – I

लेखांकन मानकों के संबंध में अनुषंगी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम, 'नियंत्रण एवं महत्वपूर्ण प्रभाव' की परिभाषा

लेखांकन मानक 18, 21, 23 और 27 उपर्युक्त निबंधन को परिभाषित करते हैं।

अनुषंगी एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक अन्य कंपनी (होल्डिंग कंपनी) अपने आप और/या एक या अधिक अनुषगियोंके माध्यम से**,** अपनी इक्विटी शेयर पूंजी के नाममात्र मूल्य के आधे से अधिक रखती है**;** या जिसमें एक अन्य कंपनी (होल्डिंग कंपनी) अपने आप और/या एक या अधिक अनुषगियों के माध्यम से**,** अपने निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है।

सहायक कंपनी एक ऐसा उद्यम है जिसमें निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है **(आमतौर पर शेयरधारिता/मतदान शक्ति का 20 -50%), लेकिन कोई नियंत्रण नहीं होता** है और जो निवेशक की न तो अनुषंगी और न ही संयुक्त उद्यम है।

नियंत्रण –

(ए) किसी उद्यम की आधे से अधिक मतदान शक्ति का स्वामित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुषंगी(यों) के माध्यम से; या

(बी) कंपनी के मामले में निदेशक मंडल की संरचना या किसी अन्य उद्यम के मामले में संबंधित शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण, या

(सी) मतदान शक्ति और निर्देश शक्ति में पर्याप्त निहित और संविधि या करार के माध्यम से उद्यम की वित्तीय और/या परिचालन नीतियों को निर्देशित करने की शक्ति।

संयुक्त उद्यम एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके तहत दो या दो से अधिक पक्ष एक आर्थिक गतिविधि करते हैं जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है।

महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक कंपनी की वित्तीय और/या परिचालन नीतिगत निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन इसकी नीतियों पर नियंत्रण नहीं है।